संख्या-33/2024/4144/22-2-2023-17(760)/2017

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारी लाल पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.11.2023), दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारी लाल पुत्र श्री गुलजारी लाल, ग्राम-गढी नगला हाल- सुल्तानगंज खरेटा थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 23-12-1998 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर ऋशिपाल, राम प्रकाश व रामपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फर्रूखाबाद, के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2023 तक अपरिहार 23 वर्ष, 07 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 23.12.1998 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर ऋशिपाल, राम प्रकाश व रामपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिवारी लाल पुत्र श्री गुलजारी लाल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारी लाल (बंदी संख्या-15123) पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-33/2024/4144(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट पिटीशन (एस) (क्रिमिनल) याचिका सं0-(एस).161/2022 सुरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-33/2024/4144/22-2-2023-17(760)/2017

दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिवारी लाल पुत्र श्री गुलजारी लाल, ग्राम-गढी नगला हाल- सुल्तानगंज खरेटा थाना-शमशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 23-12-1998 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर ऋशिपाल, राम प्रकाश व रामपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फर्रूखाबाद, के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2023 तक अपरिहार 23 वर्ष, 07 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 23.12.1998 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर ऋशिपाल, राम प्रकाश व रामपाल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्राबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिवारी लाल पुत्र श्री गुलजारी लाल को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।